

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: एफ.2(1)()स्था/आईसीडीएस/ 117713-32

जयपुर, दिनांक: 7-9-16

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
माण्डलगढ/बयाना/कोटा शहर/जहाजपुर/
बागीदौरा/बसेडी/छबडा/डग/भरतपुर शहर/
तारानगर/सूरजगढ/फागी/मूडवा/बेगू/सुजानगढ/
चित्तौडगड/नीम का थाना/झालरापाटन्/मनोहरथाना
/आसपुर ।

विषय:- दैनिक वेतन भोगी कनिष्ठ लिपिक/वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी
कर्मचारीयो को अतिरिक्त बजट की मांग बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपकी परियोजना मे कार्यरत कनिष्ठ
लिपिक/वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो विभिन्न न्यायलयो के निर्णयाधीन कार्यरत है
इन्हे श्रम विभाग द्वारा बढी मजदूरी कारण अतिरिक्त बजट की मांग वित्त विभाग को प्रस्तुत की
जानी है वित्त विभाग द्वारा केस की ^{अधिसूचना} स्थिति चाही गयी है अतः आपके यहां कार्यरत
दैनिक वेतन भोगी के सम्बन्ध में न्यायलय में निर्णय मे विचाराधीन/निर्णय की अनुपालना की
अद्यतन स्थिति यथा कोर्ट केस का नम्बर, उनमान, स्टेटस, आगामी तारीख, पेशी निर्णयो की
स्थिति अपील/नो अपील का निर्णय आदि का विवरण समाहित करते हुए समराईज विवरण
तैयार कर स्टेटस रिपोर्ट ई-मेल आईडी dda.wcd@rajasthan.gov.in पर जरिये ईमेल
आज ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। पत्र को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जावें।

 6/9/16

उपनिदेशक(प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.2(1)()स्था/आईसीडीएस/ 117733-47

जयपुर, दिनांक: 7-9-16

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित उपनिदेशक मबावि को अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. एसीपी मुख्यालय को प्रेषित कर निवेदन है कि विभागीय बेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करे।



उपनिदेशक(प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं